

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)**

प्रकरण संख्या :- ~~2023-~~

292/22

तारीख दायर :- 29/11/2022

अनवान

नाबालिग अनिता पुत्री शंकरलाल जरिए संरक्षक माता कान्ता अहीर पत्नि शंकरलाल जाति अहीर उम्र व्यस्क निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0

.....प्रार्थी

बनाम

1. अमरलाल पिता नारायण जाति अहीर उम्र व्यस्क निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0
2. नरेश पिता शंकरलाल जाति पाराशर उम्र व्यस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0

.....विपक्षी

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0एक्ट**

-: आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थना पत्र नाबालिग अनिता पुत्री शंकरलाल जरिए संरक्षक माता कान्ता अहीर पत्नि शंकरलाल जाति अहीर उम्र व्यस्क निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0जरिये अभिभाषक सुनील कुमार जोशी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम तिलस्वां पटवार हल्का तिलस्वां भु अभिलेख निरीक्षक कांस्या तहसील बिजौलिया स्थित खाता संख्या 305 पर स्थित आराजी नम्बर 349/1 रकबा 0.8094 है0 आराजी संख्या 845/352 रकबा 0.0405 है0 कुल किता 2 रकबा 0.8499 हेक्टेयर भूमि दर्ज है। विपक्षीगण आये दिन सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे। साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र सलंगन है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया।

पत्रावली में सलंगन जमाबन्दी 2074-2077 के अवलोकन में प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/गैरखातेदार काश्तकार है। पडोसीयान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र सलंगन है पत्थरगढी से किसी स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0एक्ट स्वीकार किया। प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम तिलस्वां पटवार हल्का तिलस्वां भु अभिलेख निरीक्षक कांस्या तहसील बिजौलिया स्थित खाता संख्या 305 पर स्थित आराजी नम्बर 349/1 रकबा 0.8094 है0 आराजी संख्या 845/352 रकबा 0.0405 है0 कुल किता 2 रकबा 0.8499 हेक्टेयर भूमि सामलाती दर्ज की बशामलात सभी काश्तकारान एवं पडोसीयान को सुचित करते हुये पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/-रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावे। भु0अ0नि0 को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। फीस 500/-रूपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। प्रार्थना पत्र निर्णीत होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

(सीमा तिवाडी) उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाडा  
बिजौलिया

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाडा राजस्थान

प्रकरण संख्या:- २९२/२२

दि. तारीख:- २९/११/२२

प्रेषित:-

क. त. - ३१/३/२३

तहसीलदार

बिजौलियां

नाबालिग अनिता पुत्री शंकरलाल जरिए संरक्षक माता कान्ता  
अहीर पत्नि शंकरलाल जाति अहीर उम्र व्यस्क निवासी तिलस्वां  
तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज०

.....प्रार्थी

बनाम

१. अमरलाल पिता नारायण जाति अहीर उम्र व्यस्क निवासी तिलस्वां  
तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज०
२. नरेश पिता शंकरलाल जाति पाराशर उम्र व्यस्क निवासी बिजौलियां  
तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज०

.....विपक्षी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा १११,१२८, राजस्थान भूराजस्व अधिनियम

उर्पयुक्त विषयान्तर्गत अनुवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा ग्राम  
तिलस्वां पटवार हल्का तिलस्वां भु अभिलेख निरीक्षक कांस्या  
तहसील बिजौलिया स्थित खाता संख्या ३०५ पर स्थित आराजी  
नम्बर ३४९/१ रकबा ०.८०९४ है० आराजी संख्या ८४५/३५२  
रकबा ०.०४०५ है० कुल किता २ रकबा ०.८४९९ हेक्टेयर भूमि  
जिसपर की बाशमालात पडौसीयान के पत्थरगढी की जावै।मौके पर पत्थरगढी के  
दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया  
जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सुचित करे।  
फ्रीस ५०० रु पर  
कम पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर मदा करा।  
पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट १० दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

(सीमा तिवाडी)

उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियां जिला-भीलवाडा

